न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ...अरुआ... बनाम ...रमन वगै०...

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 78/18/RA

निर्णय दिनाँक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ...रवेरली तफरेला... की आ.ख.न. ...161... कुल रकबा ...0-19... किस्म जमीन ...गै०मु०शमशान... में से ...0-01... रकबे पर की ...0-19... रमन उदय पि० गिरजा जाट... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ...घुड़ा/लकड़ी... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ...अरुआ... द्वारा दिनाँक ...27/8/18... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. ...दारौदा... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी ...रमन उदय पि० गिरजा... जाति ...जाट... निवासी ...अरुआ... को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. ...161/0-19... रकबा ...0-19... में से ...0.01... रकबे किस्म ...गै०मु०शमशान... है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान ...6 paise... का 50 गुणा ...3/-... रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ...अरुआ... भू.अ.निरी. ...दारौदा... ..... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

...दार
तहसीलदार) राज०
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह. ... रा. ले. स. 4 क ... 37 ... 1
वर्ष 2018-19 ... 3/-
की कायमी की गई

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील कठूमर